हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (उत्तराखण्ड)– 246174
Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar (Uttarakhand) – 246174
(Central University)
दूरभाष कार्यालय : 252143, 252167,
फैक्स 01346 – 252174, 252247

संदर्भ सं0 : प्रशासन / 2011 / 186

दिनांक 24 सितम्बर, 2011

सेवा में,
वित्त अधिकारी
हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर गढ़वाल।

महोदय,

दिनांक 28 जुलाई, 2011 को कर्मचारियों हेतु कल्याण कोष / सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई समारोह / मृताश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित निर्णय पारित किये गये :–

1. पूर्व में कर्मचारी कल्याण कोष से ऋण रू0 10,000 / – की आर्थिक सहायता 2% ब्याज की दर से स्वीकृत की जाती थी, जिसे समिति की संस्तुति के आधार पर माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त् रू0 10,000 / – के स्थान पर ऋण रू0 15,000 / – की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जायेगी, इस ऋण की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी के प्रतिमाह वेतन से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 30 समान किश्तों में की जायेगी। इस ऋण हेतु कर्मचारी तीन वर्ष के अन्तराल में पुनः आवेदन कर सकते हैं तथा उक्त ऋण चिकित्सा आधार पर ही स्वीकृत किया जायेगा।
2. समिति द्वारा यह भी संस्तुति प्रदान की गई है कि विश्वविद्यालय सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में पूर्व की भॉति सम्बन्धित कर्मचारी के आश्रित को कर्मचारी कल्याण कोष से रू0 15,000 / – (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र की धनराशि माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त् स्वीकृत की जाती है, जो कि Non Refundable होगी।
3. समिति द्वारा यह भी संस्तुति प्रदान की गई है कि वर्तमान में कर्मचारी कल्याण कोष का जो खाता वित्त अधिकारी के पद नाम से है, माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त उसमें से रू0 6 लाख की धनराशि को फिक्स डिपाजिट किया जाय तथा इस डिपाजिट की गई धनराशि से एक वर्ष के उपरान्त जो ब्याज प्राप्त होगा, उस धनराशि से अलग खाता खोला जाय, जो कि भारतीय स्टेट बैंक की विश्वविद्यालय शाखा में होगा।

PAID & CANCELLED
Registrar

क्रमशः 2

4. समिति द्वारा यह भी संस्तुति प्रदान की गई है कि एफ0डी0 से प्राप्त ब्याज की धनराशि से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी/अधिकारी के विदाई समारोह में प्रति व्यक्ति रू0 5,000/–का व्यय किये जाने की स्वीकृति का माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन किया गया है। इस हेतु पूर्व में धनराशि को व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति संयोजक/वित्त अधिकारी से प्राप्त करनी आवश्यक है। यह भी सूच्य है कि इस धनराशि का पूर्ण विवरण, लेखा व्यय बाउचर कर्मचारी परिषद द्वारा रखा जायेगा, जिसका नियमानुसार समय–समय पर आडिट विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

अतः उक्त बिन्दुओं पर तत्काल अपने स्तर से कार्यवाही अमल में लाने का कष्ट करें, चूँकि उक्त बिन्दुओं पर माननीय कुलपति महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

भवदीय,

डा0 (यू0एस0 रावत)
कुलसचिव

PAID

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सादर सूचनार्थ प्रेषित :–

1. संयोजक, कर्मचारी कल्याण कोष।
2. निजी सचिव, कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, कुलसचिव।
4. अध्यक्ष–शिक्षणेत्तर कर्मचारी परिषद।

डा0 (यू0एस0 रावत)
कुलसचिव